राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल विविध अपील सं. 2713/2012

रणजीत सिंह (अब मृतक) पुत्र श्री रमेश चाँद, विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से,

1/1 रमेश चंद पुत्र श्री सुलतान, आयु 42 वर्ष

1/2 श्रीमती प्रेम बाई पत्नी रमेश चंद, आयु 40 वर्ष

दोनों निवासी वार्ड सं. 3, हरिजन बस्ती, ग्राम मंग्रोल, जिला बारन (राजस्थान) बरान (राजस्थान)

----अपीलार्थी-आवेदक

बनाम

भारत संघ पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर के माध्यम से

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री दीपक गोयल, अधिवक्ता
प्रत्यार्थी की ओर से	:	कोई उपस्थित नहीं

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंढ

निर्णय

रिपोर्टेबल

04/05/2022

रेलवे दावा अधिकरण, जयपुर पीठ-जयपुर (संक्षेप में अधिकरण) द्वारा पारित दिनांक 22.03.2012 के आक्षेपित निर्णय के खिलाफ आवेदक-अपीलार्थी द्वारा तत्काल अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा घायल-रंजीत द्वारा दायर दावा याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि दावा याचिका के लंबित रहने के दौरान, घायल-रंजीत की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी प्रतिनिधियों को दावा याचिका जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मूल आवेदन घायल रंजीत द्वारा अधिकरण के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 20.06.2009 को द्वितीय श्रेणी की

रेल यात्रा टिकट खरीदने के बाद, वह ट्रेन नंबर 1735 (कोटा-दमोह पैसेंजर) में सवार हो गया और संयोगवश से वह बारां स्टेशन के पास ट्रेन से नीचे गिर गया और घायल हो गया। इसके बाद, उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और छुट्टी के बाद, उन्होंने मुआवजा पाने के लिए दावा दायर किया।

दावा याचिका लंबित रहने के दौरान 19-10-2009 को घायल की मृत्यु हो गई। घायलों की मृत्यु के बाद, घायलों के माता-पिता रमेश चंद और प्रेम बाई ने उन्हें घायल/मृतक-दावेदार के कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

रेलवे अधिकारियों ने आवेदन का विरोध किया और इसे खारिज करने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वर्तमान मामले में संपत्ति के नुकसान के लिए कोई दावा नहीं था और पूरा दावा मृतक के विकृत दावे पर आधारित था। इसलिए मूल आवेदन कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा जारी नहीं रखा जा सकता है और मूल आवेदक की मृत्यु के बाद, दावा याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना गया था और आवेदक द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था और दावा याचिका भी खारिज कर दी गई थी।

दावेदार-अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित **हंसराज बनाम भारत संघ (एफएओ संख्या 304/2017), इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित वीरेंद्र कुमार तिवारी बनाम भारत संघः 2017 (2) टीएसी 16 (एसीसी) और अर्थमुडी रामू बनाम भारत संघः 2008 एसीजे 1659** के निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें न्यायालयों ने कहा है कि कि घायल द्वारा दायर दावा याचिका उसकी मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होती है और उसका कानूनी प्रतिनिधि इसे जारी रख सकता है।

अपीलार्थी-दावेदार के वकील की दलील सुनी गई और उस पर विचार किया गया।

प्रतिवादी की ओर से कोई पेश नहीं हुआ गया है

तर्कों को सुना गया और उन पर विचार किया गया।

इस मामले में, मूल आवेदक-रंजीत को लगी चोटों के कारण अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की गई थी। रंजीत को लगी चोटों के कारण मुआवजे की मांग को

लेकर जब दावा दायर किया गया था तब वह जीवित था। इस दावा याचिका के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अब उसके माता-पिता (आवेदकों) ने दावेदार के कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में उनके प्रतिस्थापन के लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अधिकरण ने यह देखते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि मूल दावेदार की मृत्यु हो गई है।

वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करने से पहले, रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करना आवश्यक है।

रेल अधिनियम, 1989 के अध्याय XIII में दुर्घटना के कारण यात्रियों की मृत्यु और चोट के लिए रेल प्रशासन के दायित्व का उल्लेख किया गया है। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 125 में मुआवजे के लिए आवेदन दायर करने का प्रावधान है। यह प्रावधान निम्नानुसार है: –

> "125. मुआवजे के लिए आवेदन.— (1) धारा 124 [या धारा 124 क] के तहत मुआवजे के लिए आवेदन दावा अधिकरण में किया जा सकता है-
>
> (क) उस व्यक्ति द्वारा जिसे चोट लगी है या कोई नुकसान हुआ है, या
>
> (ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत किसी एजेंट द्वारा, या
>
> (ग) जहां ऐसा व्यक्ति नाबालिग है, उसके अभिभावक द्वारा, या
>
> (घ) जहां मृत्यु दुर्घटना [या अप्रिय घटना] से हुई है, मृतक के किसी आश्रित द्वारा, या जहां ऐसा आश्रित नाबालिग है, उसके अभिभावक द्वारा।
>
> (2) इस धारा के तहत मुआवजे के लिए आश्रित द्वारा प्रत्येक आवेदन, हर दूसरे आश्रित के लाभ के लिए होगा।"

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 में अप्रिय घटना के कारण देयता और मुआवजे की दुर्घटना का प्रावधान है। यह प्रावधान निम्नानुसार है:–

> "124. दायित्व की सीमा- जब किसी रेल के कार्यकरण के अनुक्रम में कोई दुर्घटना होती है, जो या तो ऐसी रेलगाड़ियों के बीच टक्कर हो जिनमें एक यात्रियों का वहन करने वाली रेलगाड़ी है अथवा यात्रियों का वहन करने वाली किसी रेलगाडह या ऐसी रेलगाड़ियों रेलवे में कार्य करने के दौरान कोई दुर्घटना होती है, या तो रेलगाड़ियों के बीच टक्कर होती है, जिसमें से एक यात्रियों को ले जा रही रेलगाड़ी है या किसी रेलगाड़ी या यात्रियों को ले जा रही रेलगाड़ी के किसी भाग के पटरी से उतर जाने या किसी अन्य कारण से दुर्घटना होती है, तो चाहे रेल प्रशासन की ओर से उपेक्षा या चूक जैसा कोई त्रुटिपूर्ण कार्य हुआ हो या न हुआ हो, तो ऐसा

यात्री, जो घायल हो गया है या जिसे नुकसान हुआ है, कार्रवाई को बनाए रखने और उसके संबंध में क्षति की वसूली करने का पात्र होगा, तथा रेलवे प्रशासन, किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, और केवल उस सीमा तक ऐसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी यात्री की मृत्यु के कारण होने वाली हानि के लिए, और ऐसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप यात्री और उसके साथ उसके डिब्बे या ट्रेन में उसके स्वामित्व वाले सामान की व्यक्तिगत नुकसान और हानि, विनाश, क्षति या गिरावट होती है, उस सीमा तक मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो निर्धारित किया जा सकता है।

124क. अप्रिय घटना के कारण मुआवजा- जब रेलवे में काम करने के दौरान कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो चाहे रेलवे प्रशासन की ओर से कोई गलत कार्य, उपेक्षा या चूक हुई है या नहीं, जैसे कि घायल हुए यात्री या मारे गए यात्री के आश्रित को कार्रवाई बनाए रखने और उसके संबंध में नुकसान की वसूली करने का अधिकार होगा और रेल प्रशासन, किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अप्रिय घटना के परिणामस्वरूप किसी यात्री की मृत्यु या चोट लगने से होने वाली हानि के लिए ऐसी सीमा तक और उस सीमा तक मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा: परन्तु यह कि यदि यात्री की मृत्यु हो जाती है या उसके कारण चोट लगती है तो रेलवे प्रशासन द्वारा इस धारा के तहत निम्न के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा-

(क) आत्महत्या या उसके द्वारा आत्महत्या का प्रयास;

(ख) स्वयं को चोट पहुंचाना

(ग) उसका अपना आपराधिक कृत्य;

(घ) नशे या पागलपन की स्थिति में उसके द्वारा किया गया कोई कार्य;

(ड.) कोई भी प्राकृतिक कारण या बीमारी या चिकित्सा या सर्जिकल उपचार जब तक कि उक्त अप्रिय घटना के कारण चोट के कारण ऐसा उपचार आवश्यक न हो जाए।"

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 में 'स्वतंत्र' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"123. परिभाषाएँ— (1) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "दुर्घटना" का अर्थ है धारा 124 में वर्णित प्रकृति की दुर्घटना;

(ख) "आश्रित" का अर्थ है मृतक यात्री का निम्नलिखित संबंधी:—

(i) पत्नी, पति, बेटा और बेटी, और यदि मृत यात्री अविवाहित है या नाबालिग है, तो उसके माता-पिता;

(ii) माता-पिता, नाबालिग भाई या अविवाहित बहन, विधवा बहन, विधवा बहू और पूर्व-मृत बेटे का नाबालिग बच्चा, यदि मृतक यात्री पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से निर्भर है;

(iii) पूर्व-मृत बेटी का एक नाबालिग बच्चा, यदि पूरी तरह से मृतक यात्री पर निर्भर है;

(iv) पैतृक दादा-दादी जो पूरी तरह से मृतक यात्री पर निर्भर हैं।

(ग) "अप्रिय घटना" का अर्थ है-

(1) (i) "किसी व्यक्ति द्वारा यात्रियों को ले जा रही किसी ट्रेन में या उस पर या वेटिंग हॉल, क्लॉक रूम या आरक्षण या बुकिंग कार्यालय या रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी अन्य स्थान पर आतंकवादी और विघटनकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी आतंकवादी कृत्य को अंजाम देना; या (ii) हिंसक हमला करना या डकैती या डकैती करना; दंगा, गोलीबारी या आगजनी में शामिल होना; या

(iii) यात्रियों को ले जा रही किसी ट्रेन में या उसमें या किसी प्रतीक्षालय, क्लॉक रूम या आरक्षण या बुकिंग कार्यालय या किसी प्लेटफॉर्म पर या रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा दंगा, गोलीबारी या आगजनी में शामिल होना; नहीं तो

(2) यात्रियों को ले जा रही ट्रेन से किसी भी यात्री का दुर्घटनावश गिरना।"

'आश्रित' अभिव्यक्ति को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (ख) के तहत परिभाषित के रूप में समझा जाना चाहिए, "जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो", जैसा कि धारा 123 से देखा जा सकता है, जो "इस अध्याय में शब्दों से शुरू होता है जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो"। धारा 125 (1) (क) के तहत आवेदन उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसे चोट लगी है या कोई नुकसान हुआ है। धारा 124 चोट या संपत्ति के नुकसान से संबंधित है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मृतक यात्रियों के कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि मुआवजे का दावा करने के पात्र नहीं होंगे। यदि धारा 125 (1) (क) को किसी भी संकीर्ण अर्थ में माना जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि भले ही किसी मृतक को संपत्ति का नुकसान हुआ हो, लेकिन उसके कानूनी उत्तराधिकारी धारा 125 (1) (क) के तहत दावा नहीं कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से एक अन्यायपूर्ण और बेतुका निर्माण होगा। रेलवे की लापरवाही धारा 124 में निहित है, हालांकि सबूत दिए गए हैं। यदि दो रेलगाड़ियां आपस में टकराती हैं या एक पटरी से उतर जाती है या इसी प्रकार की अन्य दुर्घटनाएं होती हैं तो रेलवे की ओर से लापरवाही पारदर्शी रूप से बरती जाती है और लापरवाही का प्रमाण देने के दायित्व का वितरण दायित्व की प्रकृति को नहीं बदलता है। ऐसे मामले में यह कहना कि केवल माल का मालिक और उसके कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि मुआवजे का दावा करने के पात्र नहीं होंगे, स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण होगा। इसलिए, धारा 125 (1) के खंड (क) में "जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है" अभिव्यक्ति में निश्चित रूप से ऐसे मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल करना होगा जिन्हें नुकसान हुआ है।

इस अवस्था पर, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 और नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII नियम 1 और 3 (इसके बाद "सीपीसी" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों पर विचार करना प्रासंगिक है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 में कुछ शर्तों के अधीन मृत्यु के बाद भी किसी व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ कार्यवाही जारी रखने का प्रावधान है। सी.पी.सी. के आदेश XXII नियम 1 और 3 में कार्यवाही के लिए एक पक्ष की मृत्यु के परिणामों और उस संदर्भ में उठाए जाने वाले कदमों का प्रावधान है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 निम्नानुसार है:—

> "306. मृतक की या उसके विरुद्ध कार्रवाई की माँग और अधिकार निष्पादक या प्रशासक के विरुद्ध जीवित रहते हैं—किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पक्ष या विपक्ष में विद्यमान किसी भी कार्रवाई या विशेष कार्यवाही पर मुकदमा चलाने या बचाव करने के सभी अधिकार उसके निष्पादकों या प्रशासकों के विरुद्ध जीवित रहते हैं; भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में परिभाषित मानहानि, हमले के लिए कार्रवाई के कारणों को छोड़कर या अन्य व्यक्तिगत चोटों के कारण पार्टी की मृत्यु का कारण न बनें; और उन मामलों को छोड़कर, जहां पार्टी की मृत्यु के बाद, मांगी गई राहत का आनंद नहीं लिया जा सकता है या इसे देना निरर्थक होगा।

सी.पी.सी. के आदेश XXII नियम 1 और 3 निम्नानुसार हैं:—

> "1. यदि मुकदमा करने का अधिकार बच जाता है तो पक्षकार की मृत्यु से कोई राहत नहीं मिलेगी—वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से मुकदमा समाप्त नहीं होगा यदि मुकदमा करने का अधिकार बच जाता है।
>
> 3. अनेक वादियों में से एक अथवा एक वादी की मृत्यु की स्थिति में पद्यति.— (1) जहां दो या दो से अधिक वादी में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार अकेले जीवित वादी या वादी को नहीं बचता है, या एकमात्र वादी या एकमात्र जीवित वादी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बच जाता है, अदालत, इस संबंध में किए गए आवेदन पर, मृतक वादी के कानूनी प्रतिनिधि को एक पक्ष बनाया जाएगा और मुकदमे के साथ आगे बढ़ेगा।
>
> (2) "जहां कानून द्वारा सीमित समय के भीतर उप-नियम (1) के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाता है, जहां तक मृतक वादी का

> संबंध है, मुकदमा समाप्त हो जाएगा, और, प्रतिवादी के आवेदन पर, अदालत उसे उन लागतों को दे सकती है जो उसने मुकदमे का बचाव करने में खर्च की होंगी, जिसे मृतक वादी की संपत्ति से वसूल किया जा सकता है।

यह स्थापित कानून है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 प्रकृति में मौलिक है और सी.पी.सी. का आदेश XXII प्रक्रियात्मक है। कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन का उद्देश्य कार्यवाही जारी रखना है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि रेलवे अधिनियम, 1989 के अध्याय XIII में इस बात का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है कि जब दावा आवेदन लंबित रहने के दौरान दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के आश्रित की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। किसी आश्रित की मृत्यु पर उसके दावे के उपशमन या विलोपन का कोई प्रावधान नहीं है। किसी आश्रित के अधिकार केवल इसलिए गायब नहीं हो सकते क्योंकि दावा आवेदन के लंबित रहने के दौरान आश्रित की मृत्यु हो जाती है। रेलवे अधिनियम, 1989 के अध्याय XIII में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक आश्रित जहां संदर्भ की आवश्यकता है, मृतक आश्रित के कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल नहीं कर सकता है। विरासत और उत्तराधिकार से संबंधित कानून के सामान्य प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 के अध्याय XIII के प्रावधानों द्वारा छुआ नहीं गया है।

सामान्य कानून के तहत, आश्रित के तहत दावा करने वाला एक कानूनी उत्तराधिकारी कानूनी प्रतिनिधि के रूप में दावा जारी रखने का पात्र है। इसी प्रकार, ऐसा दावा जो आश्रित को मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि द्वारा जारी रखा जा सकता है, अर्थात, जो मृतक आश्रित के तहत दावा करता है।

'एम. वीरप्पा बनाम एवलिन सिक्वेरा और अन्य', (1988) 1 एससीसी 556 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीसी के आदेश XXII नियम 1 और 3 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद और निम्नानुसार विभिन्न निर्णयों पर विचार किया:–

> "उन्होंने कहा, 'अगर पूरा मुकदमा झूठा साबित होता है तो निश्चित तौर पर मुकदमा खत्म हो जाएगा। यदि कार्रवाई आंशिक रूप से क्षति पर और आंशिक रूप से अनुबंध पर स्थापित की गई थी, तो, क्षति से संबंधित दावे का ऐसा हिस्सा समाप्त हो जाएगा और दूसरा हिस्सा बच जाएगा। यदि

> मुकदमा दावा पूरी तरह से अनुबंध पर आधारित था, तो मुकदमे को पूरी तरह से मुकदमे के लिए आगे बढ़ना था और उस पर निर्णय सुनाया जाना था।

श्री रामेश्वर मांझी बनाम संग्रामगढ़ प्रबंधन मामले में, 1994 (1) एससीसी 292 में रिपोर्ट किया गया, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों पर विचार किया और 'ग्वालियर रेयन्स मेयूर बनाम लेबर कोर्ट', (1978) 2 एलएलजे 118 (केरल) और 'बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंधन, अहमदाबाद बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मकार (1979) 2 एलएलजे 57 (गुजरात) में व्यक्त विचारों को अनुमोदित किया। उक्त मामले में, मुद्दा यह था कि क्या संबंधित कानूनों के तहत अधिकारियों के समक्ष लंबित कर्मचारी का दावा उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि-

> "13. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'एक्टियो पर्सनलिस मोरिटर कम पर्सन' मैक्सिम की प्रयोज्यता 'राहत के दावे' और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है। कुल मिलाकर अधिनियम की धारा 2-क के अंतर्गत औद्योगिक विवाद संबंधित कर्मकार की सेवाओं की समाप्ति से संबंधित हैं। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कर्मकार की मृत्यु होने की स्थिति में, स्पष्ट रूप से बहाली की राहत नहीं दी जा सकती है। लेकिन संदर्भ में शामिल मुद्दों का अंतिम निर्धारण उद्योग में अन्य श्रमिकों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए प्रासंगिक हो सकता है। अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक शांति लाना है। अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण और श्रम न्यायालय एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन हैं। इसलिए, यह अधिनियम की योजना के अनुरूप है कि ऐसे मामलों में कार्यवाही मृतक कामगार के कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों के कहने पर जारी रहनी चाहिए। अन्यथा भी किसी अन्य रूप में वापस मजदूरी या मौद्रिक राहत के लिए दावा किया जा सकता है। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कामगार की मृत्यु उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों को कार्यवाही जारी रखने और मृतक कामगार के उत्तराधिकारी के रूप में लाभ का दावा करने के उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है।"

यहां यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि रेलवे दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 एक स्पष्ट संकेत देता है कि आश्रित की मृत्यु पर आश्रित द्वारा मुआवजे का दावा करने का अधिकार समाप्त या ख़त्म नहीं होता है। रेलवे दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि किसी मृत पक्ष को उसके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा कार्यवाही में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यह प्रावधान निम्नानुसार है:–

> "26. (1) अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किसी पक्ष की मृत्यु के मामले में, मृतक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि ऐसी मृत्यु की तारीख के नब्बे दिनों के भीतर रिकॉर्ड पर लाए जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(2) जहां उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कानूनी प्रतिनिधियों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, कार्यवाही समाप्त हो जाएगी: बशर्ते कि दिखाए गए अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए, अधिकरण मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन की अनुमति दे सकता है।

नियम 26 के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि यह धारा 125 के तहत आवेदकों द्वारा किए गए सभी दावों पर लागू होता है, जिसमें रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 125 (1) (घ) के तहत दावा करने वाले आश्रित भी शामिल हैं। ऐसा होने पर, नियम 26 एक ठोस संकेत है कि कानून को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे आश्रित/दावेदार की मृत्यु होने पर आश्रित/दावेदार का दावा समाप्त हो जाएगा। यदि नियम 26 के तहत कानूनी उत्तराधिकारियों को दावा जारी रखने के लिए पक्षकार बनाया जा सकता है और प्रतिस्थापित किया जा सकता है, तो इस सिद्धांत के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है कि दावा आश्रित/दावेदार के साथ समाप्त या ख़तम हो जाता है। इस दावा याचिका के लंबित रहने के दौरान, उनकी मृत्यु हो गई, फिर उनके माता-पिता (आवेदकों) ने दावेदारों के कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में उनके प्रतिस्थापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। लेकिन अधिकरण ने यह देखते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि मूल दावेदार की मृत्यु हो गई है और वर्तमान आवेदकों ने मृत्यु के कारण का खुलासा नहीं किया है।

अधिकरण को दोनों पक्षों के सबूतों को रिकॉर्ड करने के बाद केवल तथ्यों का मूल्यांकन करना चाहिए कि चोटों और मौत के कारण के बीच कोई संबंध था या नहीं।

हंसराज (सुप्रा.), **वीरेंद्र कुमार तिवारी (सुप्रा.) और अर्थमुडी रामू (सुप्रा.)** के मामलों में दिए गए कई निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालयों ने यह विचार किया है कि दावे के लंबित रहने के दौरान घायल की मृत्यु के बाद भी, मुकदमा करने का अधिकार जीवित रहने का अधिकार है क्योंकि दावा याचिका दायर किए जाने पर मृतक के पक्ष में मुकदमा करने का अधिकार स्पष्ट हो जाता है क्योंकि घायल का अधिकार मुआवजे के लिए था और वह मुआवजे का पात्र था। दावा याचिका में घायल दावेदार की मृत्यु के कारण धन की हकदारी को कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए, अधिकरण ने आक्षेपित आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

उपर्युक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 22.03.2012 के आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है और अधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार इस पर निर्णय ले कि दावेदार (घायल-मृतक के माता-पिता) रेल दुर्घटना में घायल

रणजीत को लगी चोटों के लिए मुआवजा पाने के पात्र हैं या नहीं।

पक्षकारों को 31.05.2022 को अधिकरण के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है।

उपर्युक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, अपील का निपटान किया जाता है।

सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटान किया जाता है।

अधिकरण का रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजा जाए।

(अनूप कुमार ढांड), न्यायमूर्ति

PRAVESH/4

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।